यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी/ वित्त अधिकारी अल्मोड़ा, उत्तराखंड द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी/ वित्त अधिकारी अल्मोड़ा, उत्तराखंड के माह मई 2015 से मार्च 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील दत्त, श्री मुकेश कुमार एवं श्री जतिन राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 04-10-2018 से 10-10-2018 तक श्री एस॰के॰ वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विजय कुमार पर्यवेक्षक, श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय एवं श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 11.05.2015 से 21.05.2015 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2011 से 04/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2015 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र**: इकाई का क्रियाकलाप राज्य मे शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखना है तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण अल्मोड़ा जिला है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	आवंटन ₹	व्यय ₹	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	2202 मुख्य शिक्षा 4504,4506,4567	5826.06	5696.41	-	129.65
2016-17	2202 मुख्य शिक्षा 4504,4506,4567	4893.52	4755.01	-	138.51
2017-18	2202 मुख्य शिक्षा 4504,4506,4567	5088.38	5070.51	-	17.87
Total		**15807.96**	**15521.93**	-	**286.03**

लेखाशीर्ष

4504: स्थापना संबंधी मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) एवं वित्त अधिकारी के कार्यालय संबंधी, डीडीओ-वित्त अधिकारी
4506: डी डी ओ- मुख्य शिक्षा अधिकारी, सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के स्थापना संबंधी व्यय
4567: डी डी ओ- मुख्य शिक्षा अधिकारी, आर्यकन्या महाविद्यालय अल्मोड़ा हेतु स्थपाना व्यय।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त ₹		व्यय ₹		अधिक्य (+)		बचत (-)	
		GoI	State	GoI	State	GoI	State	GoI	State
2015-16		-Nil-							
2016-17									
2017-18									
योग:									

(स) कार्यक्रम/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन मे संलग्न समितियों एवं एन०जी०ओ का विवरण:

S.No	Year	Name of Society/ NGO involved	Government expenditure through Society/NGO
1	**2**	**3**	**4**
1	2015-16	-Nil-	
2	2016-17		
3	2017-18		

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है।

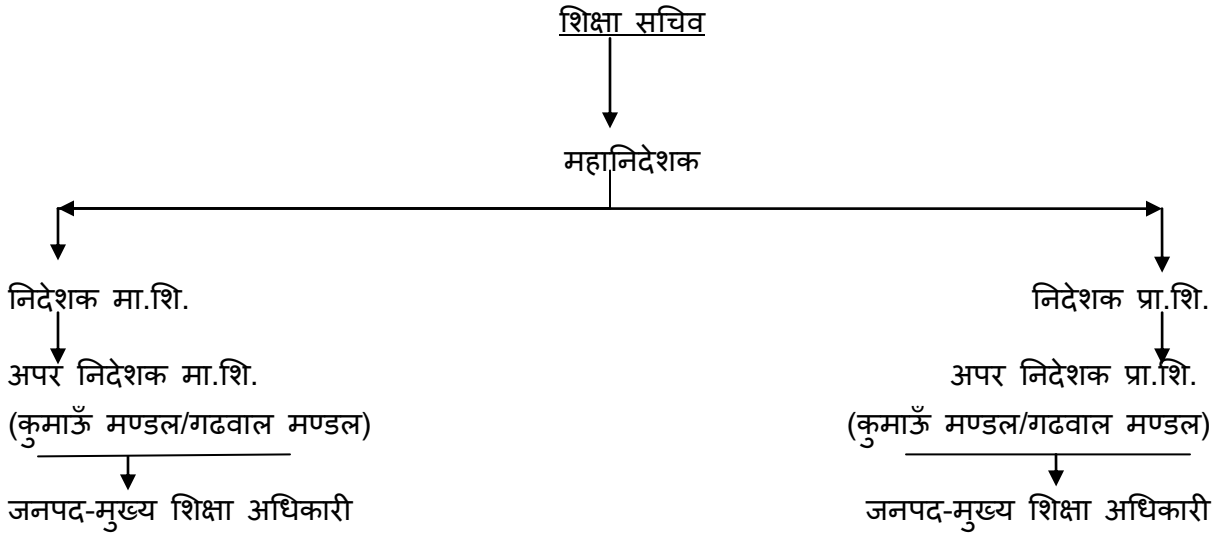

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण अल्मोड़ा जिला है नमूना लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य शिक्षा

अधिकारी/ वित्त अधिकारी अल्मोड़ा, उत्तराखंड की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016 एवं दिसम्बर 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। कार्यालय स्तर पर योजनाओ का संचालन किया जाता है

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग दो(ब)</u>

प्रस्तर 1. : नाबार्ड वित्त पोषित आर आई डी एफ योजना के अंतर्गत रु 805.98 लाख व्यय किए जाने के उपरांत भी निर्माण कार्यो का अपूर्ण रहना

नाबार्ड (National bank for reconstruction and development) वित्त पोषित आर. आई. डी. एफ. योजना अंतर्गत विभिन्न राजकीय इंटर कालेजों के भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी थी, जिसके अंतर्गत रु 1225.37 लाख की लागत से अलग अलग विद्यालयो मे आठ निर्माण कार्य[1] किए जाने थे। नाबार्ड वित्त पोषित उक्त कार्यो के संबंध मे अनुमोदित धनराशि को ऋण के रूप मे स्वीकृत किया गया था[2] । वित्तीय वर्ष 2103-14 मे कार्यो के सापेक्ष रु 15.00 लाख की दर से सात कार्यो हेतु रु 105.00 लाख की स्वीकृति की गयी थी[3], जो निम्न शर्तो के अधीन थी।

- कार्यो हेतु अनुबंधित कार्यदायी संस्थाओ को उनके साथ हुए अनुबंध मे भुगतान की निहित शर्तो के अनुसार ही कार्य के भौतिक प्रगति के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
- आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली- 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा मे शासन की पूर्वानुमती के बिना अपूर्ण व्यवस्था मे समाप्त नहीं किया जाएगा।
- निर्माण सामग्री को उपयोग मे लाये जाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला मे अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग मे लायी जाए।

---

[1] (i) राजकीय इंटर कालेज मेरगाओं मे भवन निर्माण : रु 202.14 लाख, (ii) राजकीय इंटर कालेज आरसपड़ मे भवन निर्माण : रु 134.43 लाख, (iii) राजकीय इंटर कालेज गुरुराबांज मे भवन निर्माण : रु 96.08 लाख, (iv) राजकीय इंटर कालेज चौरानुली मे भवन निर्माण : रु 138.83 लाख, (v) राजकीय इंटर कालेज खेती मे भवन निर्माण : रु 113.57 लाख , (vi) राजकीय इंटर कालेज दन्या मे भवन निर्माण : रु 166.69 लाख, (vii) राजकीय इंटर कालेज भेताबदौली मे भवन निर्माण : रु 193.07 लाख तथा (viii) राजकीय इंटर कालेज जुद्कफ़ून मे भवन निर्माण : रु 180.56 लाख

[2] संख्या 603/ XXIV-3/15/02 (99) 2013 दिनांक 30 मार्च 2015

[3] संख्या 732/ XXIV-3/15/02 (99) 2013, दिनांक: 01 अप्रैल , 2015

- कार्य की प्रगति की निरंतर व गहन समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम. ओ. यू. अवश्य हस्ताक्षरित किया जाए।
- निर्माण कार्य स्वीकृत / अनुमोदित धनराशि के अंतर्गत ही किया जाएगा तथा इसमे स्वीकृति की प्रत्याशा मे अतिरिक्त कोई भी अनधिकृत व्यय नहीं किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकर एवं निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा[4]।

इकाई की लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2018) मे अभिलेखो की जांच मे देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2018-19 के मध्य उक्त आठ कार्यो के सापेक्ष कुल रु 805.98 लाख कार्यदायी संस्थाओ को निर्गत किए गए थे[5]। भौतिक प्रगति विवरण सितंबर- 2018 के अनुसार निर्माण कार्य अपूर्ण थे तथा टिप्पणी दी गयी थी कि धनाभाव के कारण कार्य बाधित थे, जुड़कफ़ून मे जून 2017 से कार्य बाधित था। वित्तीय विवरण के अनुसार कार्यो के सापेक्ष 57 से 79 प्रतिशत तक धनराशि निर्गत की गयी थी।

इस प्रकार, कार्यो के निर्माण मे हुए विलंब के कारण रु 805.98 लाख व्यय किए जाने के उपरांत भी कार्य अपूर्ण थे तथा स्वीकृति के उपरांत पाँच वर्षो से अधिक विलंब के कारण, उनकी लागत मे वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा (अक्टूबर- 2018) मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया गया कि निर्माण कार्यो के पूर्ण किए जाने हेतु कार्यदायी संस्थाओ से पत्राचार किया जा रहा है, परंतु इकाई द्वारा इस पत्राचार के संबंध मे, सामग्री के परीक्षण के संबंध मे अथवा कार्यो के निर्माण की समीक्षा के संबंध मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इकाई द्वारा एम. ओ. यू. उपलब्ध न कराये जाने से कार्यो को पूर्ण किए जाने के समय सीमा के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण नहीं किया जा सका। आगे, इकाई द्वारा बताया गया कि अवशेष धनराशि रु 419.39 लाख के प्राप्त होने पर कार्यो को पूर्ण करा लिया जाएगा।

अतः योजना अंतर्गत निर्माण कार्यो के अपूर्ण रहने तथा उनके सापेक्ष रु 805.98 लाख व्यय किए जाने का तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

---

[4] पत्रांक संख्या 5 ख (2) / 40337 -50 / जीर्ण शीर्ण / 2014-15 दिनांक 31 मार्च 2015

[5] वित्तीय वर्ष 2013-14: रु 105.00 लाख, 2014-15: रु 228.37 लाख , 2015-16: रु 199.93 लाख, 2016-17: रु 134.34 लाख, 2017-18: रु 86.06 लाख तथा वर्ष 2018-19: 52.28 लाख कुल रु 805.98 लाख

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- धनराशि ₹ 30.77 लाख का अवरोधन

मा. मुख्यमंत्री जी घोषणान्तरगत (2016-17) जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों के भवन/कक्षा-कक्ष/अन्य निर्माण कार्यों हेतु शासन द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखंड को रा. क. उ. मा. वि. सिनौड़ा, जनपद अल्मोड़ा में 01 कक्षा-कक्ष निर्माण तथा रा. इ. का. क्वाइराला, जनपद अल्मोड़ा में 04 कक्षा-कक्षों का निर्माण के लिए राज्य सैक्टर के अंतर्गत क्रमश: ₹ 11.69 लाख एवं ₹ 45.08 लाख वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुए इसके सापेक्ष ₹ 11.69 लाख एवं ₹ 19.08 लाख (₹ **30.77 लाख**) निर्गत किए गए (नवम्बर, 2016)। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखंड द्वारा इस धनराशि को मुख्य शिक्षा अधिकारी, अलमोड़ा को प्रेषित किया गया तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी, अलमोड़ा ने इस धनराशि को चयनित कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, रानीखेत को प्रेषित किया (नवम्बर 2016)। ग्राहक विभाग तथा निर्माण इकाई के मध्य MoU नवम्बर 2016 मे हस्ताक्षरित किए गए तथा कार्य पूर्ण होने की अवधि 15 माह नियत की गई। मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा के निर्माण संबंधी अभिलेखों तथा निर्माण इकाई की मासिक प्रगति प्रतिवेदन की जांच में पाया गया कि निर्माण इकाई के द्वारा भूमि की अनुपलब्धता के कारण धनराशि निर्गत किए जाने के दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी कार्य अनारम्भ है तथा इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शून्य है। कार्यदायी संस्था के द्वारा फ़रवरी 2018 में मुख्य शिक्षा अधिकारी को सूचित किया गया कि उक्त दोनों विद्यालयों के पास निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध या भूमि उपलब्ध न होना सूचित किया गया। MoU के अनुसार ग्राहक विभाग के द्वारा कार्यदायी संस्था को भूमि तथा धनराशि समय पर उपलब्ध नहीं किए जाने के दशा में प्राकलन पुनरीक्षित होता है तो निर्माण एजेंसी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी एवं कार्य पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त धनराशि प्राकलन अनुसार ग्राहक विभाग के द्वारा अवमुक्त करनी होगी। इस संदर्भ मे मुख्य शिक्षा अधिकारी को इंगित किए जाने पर जवाब दिया गया कि कार्यालय द्वारा निर्माण इकाई को भूमि उपलब्ध करने हेतु प्रयास किए जा रहे है जिससे

कि निर्माण कार्य शिघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जा सके हालांकि इकाई द्वारा इस संबंध में किए गए कृत्य कार्यवाही से लेखापरीक्षा को ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सका।

निर्माण मैनुअल एवं वित्तीय नियमानुसार बिना भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए निर्माण के कार्य को शासन से स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं किया जाना चाहिए तथा निर्माण इकाई को धनराशि भूमि आदि समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरांत ही निर्गत किया जाना चाहिए। परंतु इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि निर्माण इकाई को समय पर भूमि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण समयांतर्गत कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्राकलन पुनरीक्षित होगा तथा यह अनधिक व्यय विभाग को वहन करना होगा जिससे बचा जा सकता था।

अतः विभाग के द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराये जाने के फलस्वरूप दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उक्त दोनों कार्यों का लेखापरीक्षा तिथि तक (10/2018) अनारम्भ रहना तथा निर्माण इकाई के पास धनराशि ₹ 30.77 लाख का अवरुद्ध रहने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:3- मुख्य शिक्षा अधिकारी तथा उनके अधीन कार्यालयों में रु. 4,50,861/- की देयता का लंबित रहना।

According to the Rule Number 161 of Financial Handbook, Part-V, Volume-I, 'Money indisputably payable should never be left unpaid; and money paid should under no circumstances be kept out of the accounts a day longer than is absolutely necessary. It is no economy to postpone inevitable payments and it is very important to ascertain, liquidate and record the payment of all actual obligations at the earliest possible date.

कार्यालय, मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा तथा उनके अधीन कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा मे पाया गया कि कार्यालय स्तर से विभिन्न प्रकार के देयता अधिक समय से लंबित चल रहे हैं। जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका नियमावली में स्पष्ट है कि अवश्यंभावी भुगतानों में विलंब न करके उनका शीघ्र ही निस्तारण कर दिया जाना चाहिए।

विभाग के लंबित भुगतानों का विवरण निम्नवत प्रस्तुत है:

क्रम सं	**विवरण**	**मूल्य**
1	भवन कर	82,523/-
2	न्यायालय प्रकरण	1,06,810/-
3	जल कर	1,83,650/-
4	अखबार विज्ञापन	77,878/-
कुल मूल्य		**4,50,861/-**

उपरोक्त तालिकानुसार विभाग पर कुल रु० 4,50,861/- की देयता लंबित थी, जिसमे भवन कर एवं जल कर पर ब्याज मे भी निरंतर वृद्धि हो रही थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में अवगत कराया गया था, कि इन देयताओं के निराकरण हेतु बार-बार बजट की मांग जाती है, परंतु बजट के अभाव में देयताएँ बनी हुई है, बजट प्राप्त होने पर तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं, क्योंकि कार्यालय पर यह देयताएँ कई माहों से बनी हुई है, और इस प्रकार वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।

अतः प्रस्तर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर	भाग-II 'ब' प्रस्तर	Stan
19/2015-16	शून्य	01	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
इकाई द्वारा उच्चतर अधिकारी के अनुमोदन से उत्तर प्रेषित नहीं किये गये थे।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी/ वित्त अधिकारी अल्मोड़ा, उत्तराखंड, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

-शून्य-

2. **सतत् अनियमितताएः**

-शून्य-

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री अशोक कुमार सिंह	मुख्य शिक्षा अधिकारी	16.08.2014 से 31.07.2015
2.	श्री वीरेंद्र नाथ सिंह	मुख्य शिक्षा अधिकारी	03.08.2015 से 18.05.2016
3.	श्री जगमोहन सोनी	मुख्य शिक्षा अधिकारी	19.05.2016 से 28.09.2016
4.	श्री अशोक कुमार सिंह	मुख्य शिक्षा अधिकारी	01.10.2016 से 28.04.2015
5.	श्री हर्ष बहादुरचन्द	मुख्य शिक्षा अधिकारी	29.04.2017 से 30.06.2017
6.	श्री जगमोहन सोनी	मुख्य शिक्षा अधिकारी	01.07.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी/ वित्त अधिकारी अल्मोड़ा, उत्तराखंड, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) "महालेखाकार भवन" कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.